

प्ररूप-ख  
[ नियम 3(1)देखिये ]  
// निरीक्षण प्रतिवेदन //

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)  
अनुविभाग-सुकमा,जिला-सुकमा(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।  
संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक.....दिनांक.....।

संदर्भ आदेश के अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक ..... को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार अष्टाक्ष-देवी माँ चिदमिद्वीत अम्मा मंदिर  
रूह रमायम

(ख) सरपंच/पंच.....

(ग) पटवारी/कोटवारी कु. प्रह्लाद शव

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी दुगा प्रसाद पुजारी

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा) के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या कुल-105 (कृषी संलग्न है)

(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या -X-

(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक ..... को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि -

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन-7, बीजा-1, अर्ध-1 कुल 9

(ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या सागौन-6, महुआ-1

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या -X-

(घ) वृक्ष कटाई के नियम 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड यदि कोई हो -X-

(ड) अन्य विवरण अधमरे वृक्ष सागौन-6, जिनके शाखा टूटकर गिरने की आशंका है जिससे भूमि, मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के जन धन की हानि की आशंका है

राजस्व अधिकारी का नाम  
पदनाम जंकर गुप्ता (तहसीलदार)  
हस्ताक्षर

वन अधिकारी का नाम  
पदनाम पी.एस. नरवानक्षेत्रपाल  
हस्ताक्षर  
Senior Circle Forest Officer  
Keralapal

02 FEB 2026